न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
018/2024(रसद) (GCMS 2024/333)	27.11.2024	19.08.2025

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

शाकिर हुसैन पिता अब्दुल करीम निवासी 322 मास्टर कॉलोनी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

विपक्षी

उपस्थिति :– प्रवर्तन अधिकारी (श्रीमती सुमन तिवारी) पैरोकार सरकार
किशन कुमावत विपक्षी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित के तहत जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 20.09.2024 को कपासन में अवैध घरेलू गैस सिलेण्डर के दुरूपयोग के संबंध में कार्यवाही के दौरान विपक्षी द्वारा अवैध गैस रिफलिंग की सूचना पर कार्यवाही के दौरान विपक्षी से जब्तशुदा सामग्री जिसका विवरण आवेदन अनुसार है के निस्तारण हेतु प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि विपक्षी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है, एवं अंत में प्रार्थना की गई कि अभिग्रहित 7 घरेलू गैस सिलेण्डर मय उसमें भरी हुई **40.0 Kg.** एवं गैस रिफलिंग मोटर 1 हा.पा. व इलेक्ट्रीक कांटा को राजसात करने की कृपा करें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। दिनांक 01.07.2025 को विपक्षी की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। दिनांक 19.08.2025 को अधिवक्ता विपक्षी द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस पत्रावली के निवेदन पर उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया।

इस पर पैरोकार सरकार द्वारा बहस पत्रावली में प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि राज्य सरकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के आदेश क्रमांक/एफ 65(1) खा.वि./एलपीजी/2024 दिनांक 10.09.2024 के क्रम में जिले में एलपीजी सिलेण्डरो के दुरूपयोग से हो रही दुर्घटनाओं से जान–माल और राजस्व हानि को दृष्टिगत रखते हुऐ दुरूपयोग को रोकने के लिये जिले में सघन अभियान चलाने के निर्देश खाद्य विभाग से प्राप्त हुए एवं प्राप्त निर्देशों की पालना में दिनांक 20.09.2024 को कपासन में अवैध घरेलू गैस सिलेण्डर के दुरूपयोग के संबंध में कार्यवाही की गई। सूचना के आधार पर मास्टर कॉलोनी कपासन में विपक्षी के निवास का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण विपक्षी शाकिर पिता अब्दुल करीम मुसलामन की उपस्थिति में किया गया। वक्त निरीक्षण 7 घरेलू गैस सिलेण्डर मय उसमें भरी हुई **40.0 Kg.** एवं गैस रिफलिंग मोटर 1 हा. पा. व इलेक्ट्रीक कांटा पाये जाने से पूछताछ करने पर एवं घरेलू गैस सिलेण्डर के संबंध में आवश्यक दस्तावेज मांगने पर विपक्षी शाकिर द्वारा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये, जिससे विपक्षी से उक्त सामग्री अभिग्रहित की जाकर श्री देवेन्द्र डिलीवरी मेन दीपक गैस एजेन्सी कपासन की सुपुर्दगी में दिये गये है।

इस पर अधिवक्ता विपक्षी ने आवेदन में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार कर बताया कि जब्तशुदा सिलेण्डर विपक्षी के पारिवारिक सदस्यों के जिनको रिफिलिंग हेतु विपक्षी ले जा रहा था और आवेदक द्वारा राजनैतिक कारणों से उक्त झूठा प्रकरण दायर किया जाकर पेश किया है जो कि खारीज किये योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने अपनी बहस समाप्त की।

इस पर बहस के रिवटल में पैरोकार ने बताया कि सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक अथवा अन्य कोई उपयोग नहीं किया जा सकता है। विपक्षी द्वारा घरेलू गैस का व्यापारिक उपयोग किया गया जिससे विपक्षी का यह कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक/अन्य उपयोग करना पाया गया जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन होने से धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्त शुदा गैस सिलेण्डर मय गैस व अन्य सामग्री राजसात **(Confiscate)** किये जाने योग्य है। अंत में प्रार्थना की गई कि अभिग्रहित 7 घरेलू गैस सिलेण्डर मय उसमें भरी हुई **40.0 Kg.** एवं गैस रिफलिंग मोटर 1 हा.पा. व इलेक्ट्रीक कांटा को राजसात करने की कृपा करें। इसी ईश्तदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली एक तरफा का चिंतन–मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का गहनता से अध्ययन/परिशीलन किया। जिला रसद अधिकारी द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध कराये दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/ परिशीलन किया। पत्रावली पर उपलब्ध फर्द मौका एवं जब्ती का अवलोकन किया। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा विपक्षी की दुकान का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मुआयना करने पर मौके पर विपक्षी के कब्जे में 07 घरेलू गैस सिलेण्डर अनाधिकृत रूप से भण्डारण करना पाया गया तथा मौके पर उक्त गैस सिलेण्डरों के संबंध में वैद्य दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके साथ ही विपक्षी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे है जिससे विपक्षी की और से आवेदन का किसी भी प्रकार से खण्डन पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डरों से अवैध गैस रिफलिंग कर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना प्रमाणित पाया गया, जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन एवं धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता है। अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डरों का अपनी दुकान पर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाता है, ऐसी स्थिति में विपक्षी से जब्त शुदा 07 घरेलू गैस सिलेण्डर मय उसमें भरी हुई **40.0 Kg.** एवं गैस रिफलिंग मोटर 1 हा.पा. व इलेक्ट्रीक कांटा को राजसात **(Confiscate)** किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं दिनांक 20.09.2024 को प्रवर्तन अधिकारी द्वारा अप्रार्थी शाकिर हुसैन पिता अब्दुल करीम निवासी 322 मास्टर कॉलोनी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) से जब्त शुदा 07 घरेलू गैस सिलेण्डर मय उसमें भरी हुई **40.0 Kg.** एवं गैस रिफलिंग मोटर 1 हा.पा. व इलेक्ट्रीक कांटा को राजसात **(Confiscate)** करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी उक्त गैस सिलेण्डरों एवं अन्य सामग्री के नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करावें। जब्तशुदा सामग्री के नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **19.08.2025** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official